समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / 2018 निगरानी

111/ निगरानी/ दतिया/ भू.रा/ 2018/ 1485

1. रामसहाय पुत्र श्री मगुन सिंह यादव
2. अरविन्द पुत्र श्री रामसहाय यादव निवासीगण ग्राम लरायटा थाना चिरूला तहसील व जिला दतिया म.प्र.

............आवेदकगण

विरूद्ध

बलवान सिंह यादव पुत्र महीप सिंह यादव निवासी ग्राम लरायटा तहसील व जिला दतिया म.प्र.

.......अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण क्र 21 / धारा 145 / जा.फो / 2016 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध !

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि अनावेदक बलवान सिंह द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 145 जा.फो. के तहत प्रस्तुत किया कि मौजा लरायटा मे स्थित सर्वे नम्बर 760 रकवा 0.14 आरे की भूमि पर स्वत्व व स्वामित्व की है उक्त की भूमि पर आवेदकगण द्वारा जबरन कब्जा किये हुये है शासकीय भूमि पर नीव खोदकर बाउंड्रीवाल बनाकर शासकीय भूमि पर लगा हेण्डपम्प पर जबरन कब्जा कर लिया ऐसा आवेदन पत्र दिया जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर उभय पक्षो के साक्ष्य लिये गये जिस पर से अनावेदक का आवेदन पत्र धारा 145 जा.फो का न होकर निरस्त किया गया । इसके बाद प्रकरण को म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 का विवाद मानकर तहसीलदार दतिया को आदेशित किया गया कि आवेदकगण के विरूद्व धारा 248 की कार्यवाही करने के अवैध व नियम विरूद्ध आदेश पारित किया गया । जिस अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.10.2017 के पालन में तहसीलदार तहसील व जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्र 0035 / अ–68 / 17–18 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 29.1.2018 से आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया कि दिनांक 9.2.2018

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./दतिया/भू.रा./2018/1485

रामसहाय आदि विरूद्ध वलवान सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-21/धारा-145/जा.फो./2014 में पारित आदेश दिनांक 13/10/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 9/08/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	